कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 290/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 26.07.2026
थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

जहानागंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही- मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 16.07.2026 को वादी मुकदमा जगदीश पुत्र स्व. जंगीराम निवासी- ग्राम कड़ासर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमेबाजी के विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 154/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5), 109(1), 117(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.07.2026 को उप निरीक्षक विनय कुमार मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तो को थाना परिसर से समय करीब 20:54 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **अरुण कुमार** पुत्र सूर्यभान, निवासी ग्राम कड़ासर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।
2. **आकाश भारती** पुत्र विजय बहादुर, निवासी ग्राम कड़ासर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-154/2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5), 109(1), 117(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विनय कुमार, का0 मनोज यादव, पीआरडी अमित सिंह थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 26.07.2026
थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दीदारगंज पुलिस ने अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व घटना / इतिहास-

दिनांक 12.03.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना दीदारगंज पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 10.03.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री को 01 बाल अपचारी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

कृत कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 26.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश मय पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित बाल अपचारी को सिसवारा मोड़ से समय करीब 06:10 बजे नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय किशोर बोर्ड प्रस्तुत किया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 44/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश, का0 अरविन्द तिवारी, रिक्रूट का0 देवांश त्रिपाठी, म0का0 शिवानी तिवारी, रिक्रूट का0 खुशबू कश्यप थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 26.07.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मा0 न्यायालय के आदेश पर 08 वारंटी गिरफ्तार

कृत कार्यवाही/ गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर **मधुबन कुमार सिंह** के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर **आस्था जायसवाल** के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष जहानागंज **अतुल कुमार मिश्र** के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस ने दिनांक **26.07.2026** को प्रभावी कार्रवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारंटी से सम्बन्धित वांछित **08 वारंटियों** को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

गिरफ्तार वारंटियों का विवरण—

1. **श्रीराम** पुत्र राजबली, निवासी खल्लोपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 63 वर्ष।
   - मु0नं0-2111/2024, धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि।
2. **मुनीब राम** पुत्र यदुनाथ राम, निवासी सेवटा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 65 वर्ष।
   - मु0नं0-562/2025, धारा 147, 149, 323, 504, 506 भादवि।
3. **रानी** पत्नी विजई, निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 27 वर्ष।
   - मा० न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के अनुपालन में धारा 126/135 बीएनएसएस।
4. **सूर्यनाथ** पुत्र बल्ली, निवासी बैलाकोट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 63 वर्ष।
   - मु0नं0-257/2024, धारा 323 भादवि।
5. **मुन्ना सिंह उर्फ संतोष** पुत्र चन्द्रभूषण सिंह, निवासी भुजही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 65 वर्ष।
   - मु0नं0-1350/2024, धारा 457, 380 भादवि।
6. **इसरावती** पत्नी रामकिशोर, निवासी मसउदपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।
   - मु0नं0-4935/2024, धारा 324, 323, 504, 506 भादवि।

7. **लीला** पत्नी मोधन विश्वकर्मा, निवासी बड़ौरा बुजुर्ग, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।
    - मु0नं0-761/2021, धारा 498A, 323, 504, 506 भादवि।
8. **विनोद** पुत्र स्व. जगदेव, निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।
    - मा० न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के अनुपालन में धारा 126/135 बीएनएसएस।

सभी वारंटियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.07.2026
थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

मेहनाजपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जानलेवा हमले का आरोपी 24 घण्टे के अन्दर भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनाजपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी मुकदमा मनोज कुमार राजभर पुत्र त्रिवेणी राजभर निवासी ग्राम बरवां द्वारा थाना मेहनाजपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.07.2026 की रात्रि लगभग 10:00 बजे वह मेहनाजपुर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। प्राथमिक विद्यालय बरवां के पास कुछ लोगों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने के बाद गांव के ही प्रदीप राजभर, शिवश्याम उर्फ पूजा, गौतम उर्फ गोलू एवं प्रितेश राजभर ने चुनावी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सभी आरोपियों ने लाठी-डंडे एवं टाइल्स से वादी के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 26.07.2026 को उ0नि0 अमित कुमार पाल द्वारा थाना परिसर से अभियुक्त शिवश्याम उर्फ पूजा को समय करीब 13:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0- 72/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 131 बीएनएस, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवश्याम उर्फ पूजा पुत्र मानिकराज राजभर, निवासी ग्राम बरवां, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार पाल, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.07.2026
थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

मेहनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छह माह से फरार आरोपी किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण थाना मेहनगर पुलिस ने जानलेवा हमले के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.02.2026 को वादिनी मुकदमा केवली देवी पत्नी सीताराम, निवासी जाफरपुर, थाना मेहनगर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त रामसमुझ चौहान ने दिनांक 01.02.2026 को शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए वादिनी के पति सीताराम चौहान पर जान से मारने की नीयत से चाकू से सीने एवं चेहरे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 42/2026 **धारा** 109(1)/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के आधार पर **धारा 4/25 आयुध अधिनियम** की बढ़ोत्तरी की गई। घटना के बाद से अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 26.07.2026 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त **रामसमुझ चौहान पुत्र स्व. जंगली चौहान**, निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को **जाफरपुर बाजार** से समय करीब **11:30 बजे** नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त चाकू।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 42/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामसमुझ चौहान पुत्र स्व. जंगली चौहान, निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 42/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 तुषार त्रिपाठी, का0 अजय राय, का0 अतुल शुक्ला थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.07.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

फर्जी दस्तावेज तैयार कर नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि में परिवर्तन कर अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा कूचरचित पासपोर्ट एवं अन्य कागजात बनाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत पासपोर्ट धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-
दिनांक 13.05.2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार यादव द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पासपोर्ट धारक **मोहम्मद तारिक पुत्र खालिक अहमद, निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़** द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि में परिवर्तन कर अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 115/2026 धारा 318(4) बीएनएस एवं 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 338, 336(3) एवं 340 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 26.07.2026 को उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त **मोहम्मद तारिक पुत्र खालिक अहमद निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़** को **रोहुआ मोड़** से समय करीब **14:35 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त- मोहम्मद तारिक पुत्र खालिक अहमद, निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-115/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340 बीएनएस एवं 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संजय कुमार सिंह, कां0 विश्वामित्र, कां0 सूरज खरवार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-26.07.2026

थाना : सिधारी, जनपद आजमगढ़

दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर सिधारी पुलिस की त्वरित कार्यवाही

महिला के साथ अश्लील कृत्य के आरोपी को 24 घंटे के भीतर दबोचा, न्यायालय भेजा गया

आज दिनांक 26.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव निवासी पल्हनी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 309/2026, धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

आज दिनांक 26.07.2026 को बउरहवा बाबा मंदिर परिसर में एक महिला के साथ अश्लील कृत्य किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिधारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के दर्ज मुकदमे के नामजद अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव निवासी पल्हनी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 35 वर्ष को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.07.2026 को समय **14:50 बजे** गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त- कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, निवासी– पल्हनी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र–लगभग 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 61/17 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि व 3(1) द 3(1) ध 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 328/17 धारा 307/323/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 47/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुंडा अधिनियम भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 141/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुंडा अधिनियम भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 142/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 112/22 धारा 147/148/160/308/332/353/427/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0- 113/22 धारा 147/148/323/307/352/427/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0- 001/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0- 1203/10 धारा 332/ 353/ 353/ 427/427/ 504/ 504/ 506/ 506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी, उ0नि0 मनीष मिश्रा, हे0का0 आफताब, हे0का0 अनिल राय, का0 नीरज यादव, का0 ऐश कुमार, म0का0 गुड़िया मिश्रा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।